रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 1975/आषाढ़ 10, 1897
No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 1975/ASADHA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है । जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st July 1975

G.S.R. 393(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 131/70-CE, dated the 2nd June, 1970, the Central Government hereby exempts tea (hereafter in this notification referred to as loose tea) falling under sub-item (1) of Item 3, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) cleared from a factory during the period commencing from 1st July, 1975, and ending with 31st March, 1976, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eighty paise per kilogram, subject to the condition that the manufacturer claiming such exemption furnishes proof to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise, having jurisdiction that in the public auctions held at Amritsar, Calcutta, Cochin, Gauhati, Coonoor and London during the period commencing from 1st April, 1972 and ending with 31st March, 1975 a quantity of loose tea (being loose tea manufactured in the factory) which is not less than fifty per cent of the quantity of loose tea manufactured in the factory during the said period of three years had been sold and that an average price of less than 6·60 rupees per kilogram had been realised for all loose tea (being loose tea manufactured in the factory) sold at such public auction :

Provided that the condition regarding the manufacturer selling in public auction not less than fifty per cent of the quantity of loose tea manufactured in the factory shall not apply to a bought-leaf-factory and that in the case of such factory the average price

of less than 6.60 rupees per kilogram shall be calculated on the basis of the total sales of loose tea whether in public auction or by private transaction or both :

Provided further that the rate of duty (eighty paise per kilogram) leviable on loose tea manufactured in a factory owned by Co-operative Society registered under any law relating to Co-operative Societies shall be reduced by ten per cent.

Explanation.—For the purposes of this notification—

(i) if the auction sale was held at Amritsar, Calcutta, Gauhati, Cochin or Coonoor, the average price aforesaid shall be calculated after deducting from the gross auction sale proceeds the duty of excise, the special duty of excise, cess on tea and local taxes, if any;

(ii) if the auction was held at London, the average price aforesaid shall be calculated after deducting from the gross sale proceeds—

(a) the duty of excise, the special duty of excise, cess on tea and local taxes, if any, paid in India;

(b) the export duty paid in India; and

(c) the amount at the rate of one rupee and twenty five paise per kilogram of loose tea;

(iii) the expression "bought-leaf-factory" means a tea factory which has purchased not less than two-thirds of the green leaf from outside sellers during the financial year 1963-64 and in the financial year immediately preceding that in which the duty is levied.

[No. 161/75-CE]

N. OBHRAI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पादशुल्क

नई दिल्ली 1 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 393(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 131/70—सी० ई०, तारीख 2 जून, 1970 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद 3 के उपमद (1) के अधीन आने वाली चाय को, (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् 'खुली चाय' कहा गया है), जिसकी 1 जुलाई, 1975 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी कारखाने से निकासी हुई है, उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से, जो प्रति किलो 80 पैसे से अधिक है, उस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि ऐसी छूट का दावा करने वाला विनिर्माता अधिकारिता प्राप्त सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान प्रद रूप में इस बात का सबूत दे कि अमृतसर, कलकत्ता, गौहाटी, कोचीन, कोनूर और लंदन में, 1 अप्रैल, 1972 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के बीच, सार्वजनिक नीलाम में खुली चाय (ऐसी खुली चाय जिसका विनिर्माण कारखाने में हुआ है) की उतनी मात्रा का विक्रय हुआ है जो उक्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान कारखाने में विनिर्मित खुली चाय की मात्रा के पचास प्रतिशत से कम नहीं है, और यह कि ऐसे सार्वजनिक नीलाम में बिक्री हुई समस्त खुली चाय

(ऐसी खुली चाय जिसका विनिर्माण कारखाने में हुआ है) पर प्रति किलोग्राम 6.60 रुपए से कम औसत कीमत वसूल की गई है :

परन्तु ऐसे विनिर्माता, जो कारखाने में विनिर्मित खुली चाय की मात्रा के पचास प्रतिशत का विक्रय सार्वजनिक नीलाम में करते हैं, से सम्बन्धित शर्त 'पत्ती-क्रेता-कारखाना' पर लागू नहीं होगी और ऐसे कारखाने की बाबत प्रति किलोग्राम 6.60 रुपए की औसत कीमत खुली चाय के समस्त विक्रय के आधार पर परिकलित की जाएगी चाहे वह विक्रय सार्वजनिक नीलाम या व्यक्तिगत संव्यवहार द्वारा, या दोनों के द्वारा, किया गया हो .

परन्तु यह और कि सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति के किसी कारखाने में विनिर्मित खुली चाय पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर (प्रति किलोग्राम अस्सी पैसा) में दस प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण––इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए––

(i) यदि नीलाम विक्रय अमृतसर, कलकत्ता, गौहाटी, कोचीन या कोनूर में हुआ है, तो उपरोक्त औसत कीमत का परिकलन, सकल नीलामी विक्रय आगम में से उत्पाद-शुल्क, विशेष उत्पाद-शुल्क, चाय पर उपकर और स्थानीय कर, यदि कोई हो, की कटौती करके किया जाएगा;

(ii) यदि नीलाम लंदन में हुआ है, तो उपरोक्त औसत कीमत का परिकलन सकल विक्रय आगम में से निम्नलिखित की कटौती कर के किया जाएगा––

(क) भारत में संदत्त उत्पाद-शुल्क, विशेष उत्पाद-शुल्क, चाय पर उपकर और स्थानीय कर, यदि कोई हों;

(ख) भारत में संदत्त निर्यात शुल्क; और

(ग) खुली चाय पर प्रति किलोग्राम पर एक रुपया पचीस पैसे की दर से, रकम;

(iii) 'पत्ती-क्रेता-कारखाना' से ऐसा चाय कारखाना अभिप्रेत है, जिसने वित्तीय वर्ष 1963–64 और उस वित्त वर्ष के अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें शुल्क उद्गृहीत किया जाता है, अपने हरे पत्ते का दो-तिहाई से अन्यून का क्रय बाहरी विक्रेताओं से किया है ।

[सं० 161/75 सी ई]

एन० ओबराय, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975